महत्वपूर्ण

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्या– C-3546 /बा0वि0परि0/स्था–1/17–18 दिनांक 28 मार्च, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
समस्त प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेवा निवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक देयकों का भुगतान समयान्तर्गत आपके स्तर से ना किये जाने के फलस्वरूप सेवा निवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने देयकों के भुगतान हेतु माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण /माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें योजित की जाती है जिस पर पारित आदेश का ससमय अनुपालन न होने के परिणाम स्वरूप सेवा निवृत्त कार्मिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद योजित किये जाते है। जिसके कारण जहां एक ओर विभाग को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वही दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग की छवि धूमिल होती है और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सेवा निवृत्त कार्मिक को ब्याज सहित देयकों के भुगतान के आदेश पारित किये जाते है। यह स्थिति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्योंकि प्रायः अधिकारियों/कर्मचारियों का जनपद से स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त आप द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पास बुक अद्यावधिक करके स्थानान्तरित जनपद को समय से नही भेजी जाती है जिसके कारण अधिकारी/कर्मचारी के देयको के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पास बुक अद्यावधिक (पूर्ण) करके उसके नवीन तैनाती जनपद में स्थानान्तरण के एक सप्ताह के अन्दर सील्ड बन्द लिफाफे में पंजीकृत/स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जब तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जी0पी0एफ0 पासबुक एवं सेवापुस्तिका प्रेषित/प्राप्त नही होती है तब तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन किसी भी दशा में आहरित न किया जाये। इससे उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद से सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सेवा निवृत्ति उपरान्त एक माह के अन्दर उनके सेवा नैवृत्तिक देयकों का प्राथमिकता पर भुगतान करके अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के सेवा नैवृत्तिक देयकों के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नही की जाती है और सेवा निवृत्त कार्मिक द्वारा देयकों का भुगतान न होने से छुब्ध होकर मा0 राज्य लोक सेवा अधिकारण/मा0 उच्च न्यायालय में वाद/अवमाना वाद योजित किया जाता है, तो इस हेतु आपको सीधे उत्तरदाथी मानते हुये आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा यदि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्मिक को ब्याज सहित देयकों के भुगतान के आदेश पारित किये जाते हैं, तो ब्याज की आंकलित धनराशि की वसूली भी आपके वेतन से की जायेगी।

28/3/18
(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या– /बा0वि0परि0/स्था–1/2017–18 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करे।

4– समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5– समस्त अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रत्येक माह प्राप्त वाली सूचनाओं को सम्बन्धित कार्मिकों की पत्रावलियों अभिरक्षित कराते हुये प्रत्येक माह अपने स्तर से समीक्षा करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

6– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश को उनके अनुरोध के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक